न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 115/2020/अपील/एलआरएक्ट/केम्प कोर्ट–बांरा
दायरा दिनांकः 18.9.2020
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

मुकटबिहारी पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी शाहगढ तहसील बांरा तहसील बांरा–राज0।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बांरा जिला बांरा (राज0)
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बाबूलाल जेन अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 26.7.2024.

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 87/2014 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट उनवान मुकुट बिहारी बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बांरा मे पारित निर्णय दिनांक 18.5.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि न्यायालय तहसीलदार बांरा द्वारा प्रकरण सं0 163/14 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम शाहगढ तहसील बांरा की आराजी ख0 नं0 159, 160 रकबा 0.30 है0 किस्म चरागाह पर अतिक्रमी मानकर 30 दिन के सिविल कारावास व 105/–रूपये जुर्माने के दण्ड से दिनांक 24.2.2014 को दण्डित किये जाने के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट मे न्यायालय जिला कलक्टर बांरा के यहां पेश कर तहसीलदार बांरा का निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील परिसीमा मे नही होने से दिनांक 18.5.2015 को खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आश्य की पेश की गई कि निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय कानून के खिलाफ है। अपीलांट को शाहगढ की ख0 सं0 159, 160 रकबा 0.30 है0 पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का इन भूमियों पर कोई कब्जा नही है। दिनांक 14.6.2018 की पटवारी रिपोर्ट संलग्न है। निर्णय की जानकारी उसक अभिभाषक ने नही दी सर्वप्रथम जानकारी 14.3.2018 को होने पर निर्णय की नकल दिनांक 6.6.2018 को प्राप्त होने पर अपील पेश की गई अतः दिनांक 14.5.2016 से 6.6.2018 तक अवधि मुजरा करने बाद अपील अन्दर मियाद पेश है इसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश किया है। अतः न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.5.2015 एंव तहसीलदार बांरा का निर्णय 24.2.2014 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोंकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषाक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि निर्णय हरदों अधीनस्थ न्यायालय कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है क्योंकि अपीलांट को शाहगढ की ख0 सं0 159, 160 रकबा 0.30 है0 पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का इन भूमियों पर कोई कब्जा नही है। दिनांक 14.6.2018 की पटवारी रिपोर्ट संलग्न है। अन्त मे अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा सरकारी चारागाह भूमि पर फसल बोई जाकर अतिक्रमण किया है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पश्चातवार्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होने पर दण्डित किया है। अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का प्रकरण मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर ापत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया । पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार बांरा द्वारा प्रकरण सं0 163/14 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम शाहगढ तहसील बांरा की आराजी ख0 नं0 159, 160 रकबा 0.30 है0 किस्म चरागाह पर अतिक्रमी मानकर 30 दिन के सिविल कारावास व 105/–रूपये जुर्माने के दण्ड से दिनांक 24.2.2014 को दण्डित किये जाने के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट मे न्यायालय जिला कलक्टर बांरा के यहां पेश कर तहसीलदार बांरा का निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील परिसीमा मे नही होने से दिनांक 18.5.2015 को खारिज की गई।

7 प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बांरा द्वारा अपीलांट को शाहगढ की ख0 सं0 159, 160 रकबा 0.30 है0 पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का इन भूमियों पर कोई कब्जा नही है। दिनांक 14.6.2018 की पटवारी रिपोर्ट संलग्न है। परीक्षण न्यायालय का निर्णय कानून के खिलाफ है। उपरोक्त तर्को के संबध मे अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 18.5.2015 के अवलोकन पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी सं0 2069 मे वादग्रस्त सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर मिसल नम्बर 619/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 9.10.2012 से अतिक्रमित भूमि पर मौके पर से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा पुनः सं0 2070 मे वादग्रस्त आराजी पर फसल बोई जाकर अतिक्रमण किये जाने पर परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी कर विधिवत सुनवायी व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया है। अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 24.2.2014 के विरूद्ध दिनांक 29.9.2014 को प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश की गई जिसमे परीक्षण न्यायालय के आदेश की जानकारी 21.9.2014 को होना बताया जबकि बेदखली व फसल निलामी फर्द पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर होने से स्पष्ट था कि उसको परीक्षण न्यायालय के आदेश की जानकारी निर्णय दिवस को ही थी।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलार्थी द्वारा दी गई कथित जानकारी दिनांक 21.9.2014 पत्रावली मे उपलब्ध उक्त आधार अभिलेख से मेल नही होने से अपील पेश करने मे हुई देरी कन्डोन करने का कोई उचित आधार नही होने के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय ने अपील परिसीमा मे नही होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांरा द्वारा प्रकरण सं0 163/14 मे पारित निर्णय 24.2.2014 को यथावत रखे जाने का दिनांक 15.5.2015 को निर्णय पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि हस्तगत अपील प्रकरण मे भी अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दू पर खारिज की गई अपील के संबध मे हस्तगत प्रकरण मे कोई अनुंतोष भी नही चाहा गया है तथा ना ही ऐसे कोई आधार अभिलेख हस्तगत अपील मे पेश किये गये है जिससे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे डिले कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत होता हो। उपर्युक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 18.5.2015 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाज अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8 परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आलौच्य जेरअपील निर्णय हरदों अधीनस्थ न्यायालय यथावत रखे जाते है।

9 निर्णय आज दिनांक 26.7.2024 को केम्प कोर्ट बारां मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)

संभागीय आयुक्त

कोटा संभाग, कोटा